प्रेस विज्ञप्ति

28-03-2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. अमरनाथ मित्तल और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल में 26.03.2026 को अभियोजन शिकायत दायर की है।

ईडी ने लोकायुक्त, भोपाल द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित) की धारा 13(1)(ई) और धारा 13(2) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप है कि डॉ. अमरनाथ मित्तल ने लोक सेवक के रूप में सेवा करते हुए अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक लगभग 2.38 करोड़ रुपये (396.67%) की संपत्ति अर्जित की।

पीएमएलए के तहत की गई जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि आरोपियों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त अपराध की धनराशि को भोपाल और रायसेन जिलों में स्थित चल और अचल संपत्तियों में निवेश करके मनी लॉन्ड्रिंग की थी।

इससे पहले, अपराध से प्राप्त कुल **9.78 करोड़ रुपये** की धनराशि की पहचान की गई थी, जो उन संपत्तियों का मूल्य है जिनमें अवैध धन का निवेश और एकीकरण किया गया था। तदनुसार, उपरोक्त मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को जनवरी 2026 में अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया था।